बोकारो स्टील सिटी-बी में काम कर रहे डाक और तार कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

*3597. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चास और बोकारो स्टील सिटी (धनबाद) निकटवर्ती नगर हैं और वे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं ;

(ख) या बोकारो स्टील सिटी में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता मिल रहा है जब कि चास बोकारो स्टील सिटी-बी में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के डाक तार कर्मचारियो को उक्त भत्ता नहीं मिल रहा है ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धनबाद जिले में (बोकारो स्टील सिटी-बी) नगर में काम कर रहे डाक-तार कर्मचारियों तथा अन्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान करवाने के बारे में व्यवस्था कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) चास और बोकारो स्टील सिटी (धनबाद) एक-दूसरे के निकट स्थित हैं। आवश्यक विवरणों के अभाव में, जिन्हें मंगवाया गया है, इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है कि क्या वे एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

(ख) बोकारो स्टील सिटी को, जिसकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 94,000, है केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों—जिनमें डाक व तार विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं, को मकान किराया भत्ते की अदायगी के प्रयोजन के लिए 'सी' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किन्तु 1971 की जनगणना के अनुसार चास की जनसंख्या केवल 13,152 है और वह केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की अदायगी के लिए वर्गीकरण किये जाने योग्य नहीं है ।

(ग) और (घ) बोकारो स्टील सिटी-बी में काम करने वाले डाक व तार विभाग के कर्मचारियों और अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते की अदायगी के प्रश्न पर, इसकी बोकारो स्टील सिटी पर निर्भरता और उससे वास्तविक दूरी के सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों से आवश्यक विवरण प्राप्त करने के पश्चात् विचार किया जाएगा। इस सूचना के अभाव में इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है कि क्या इस स्थान पर तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जा सकता है अथवा नहीं ।

धागे की कीमत में वृद्धि

3598. **डा० रामजी सिंह :**

श्री पी० राजगोपाल नायडू :

क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति लाग किये जाने के पूर्व धागे की कीमत कब से बढ़नी आरम्भ

हुई और आपात स्थिति के दौरान मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई दर्ज की गई और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) आपात स्थिति उठा लिये जाने के बाद जनता सरकार के शासन में धागे के मूल्य में कितनी वृद्धि दर्ज की गई और इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार का धागे के मूल्यों में वृद्धि रोकने का पक्का इरादा है और इसके मूल्य कब तक कम करने का प्रस्ताव है और कितने प्रतिशत; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक ओर धागे के मूल्य बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर उक्त धागे से उत्पादित कपड़े के मूल्य बाजार में लगभग वही हैं जिसके परिणामस्वरूप लाखों बुनकर बेरोजगार हो गये हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सूत की कीमतें 1974 के आरम्भ से ही बढ़नी शुरू हो गई थीं। आपातकाल के दौरान सूत की कीमतों में 32.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। धागे की कीमत में वृद्धि का मुख्य कारण रुई की कीमतों में वृद्धि था।

(ख) मार्च, 1977 से सूत की कीमत में जो वृद्धि हुई वह 18 जून, 1977 को समाप्त हुए सप्ताह तक 3.6 प्रतिशत थी। इस वृद्धि का कारण बाजार में मांग तथा पूर्ति के तत्व थे और कुछ हद तक रुई की कीमतों में वृद्धि भी इसका कारण थी।

(ग) धागे की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये सभी सम्भव कदम उठाय जा रहे हैं। इस दिशा में सूती मिलों तथा जिन राज्यों में भारी संख्या में हथकरघे हैं उनकी सरकारों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके जो उपाय आरम्भ किये गये हैं, वे ये है : शीर्ष संस्थाओं को एक्स-मिल कीमतों पर विपुल सप्लाई की व्यवस्था करना और यदि आवश्यक हो तो मिलों द्वारा यार्न डिपुओं का खोला जाना। अभी इतनी जल्दी यह नहीं कहा जा सकता कि उपरोक्त उपायों के फलस्वरूप सही-सही कितने प्रतिशत कमी आयेगी।

(घ) थोक कीमतों के सूचकांक से पता चलता है कि मार्च और जून, 1977 के बीच सूत की कीमत 3.6 प्रतिशत बढ़ी और इसी अवधि में हथकरघा वस्त्र की कीमतें (शक्तिचालित करने के कपड़े को मिलाकर) 12.5 प्रतिशत बढ़ी।

Pricing and distribution of items handled by State Trading Corporation

3599. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether any Committee had been constituted to go into the question of pricing and distribution of items handled by the State Trading Corporation; and

(b) if so, the detals thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): (a) Yes, Sir.

(b) There is a Pricing Committee under the Chairmanship of Chief Controller of Imports and Exports which determines the sale price for distribution of canalised items to actual users, including registered exporters. This Committee consists of members representing Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs) Ministry Technical Development, Development of Industry, Directorate General of Commissioner (Small Scale Industries), Department of Steel and the Ministry of Commerce. Representatives of canalising agencies concerned are also associated with the deliberations of this Committee.